भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्‍तीय सेवाएं विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 895**

(जिसका उत्‍तर 28 जुलाई, 2015/06 श्रावण, 1937 (शक) को दिया जाना है)

**बढ़ती अनर्जक आस्तियां**

895. श्रीमती शशिकला पुष्‍पा:

क्‍या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या यह सच है कि देश में विगत कुछ वर्षों से अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में वृद्धि हो रही है, यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है;

(ख) विगत दो वर्षों की तुलना में इस समय देश में कितनी अनर्जक आस्तियां हैं;

(ग) अजर्नक आस्तियों में वृद्धि होने के क्‍या-क्‍या कारण हैं; और

(घ) अनर्जक आस्तियों की संख्‍या कम करने और साथ ही अनर्जक आस्तियों को चिह्नित करने के विद्यमान नियमों/विनियमों/मानदंडों में संशोधन करने हेतु सरकार द्वारा क्‍या-क्‍या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री जयंत सिन्‍हा)

**(क) और (ख):** देश में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के संबंध में अनर्जक आस्तियों का स्‍तर निम्‍नानुसार है:-

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक:

(करोड़ रुपए में)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **अवधि‍** | **सकल एनपीए** | **सकल एनपीए अनुपात** |
| मार्च, 2013 | 1,83,854 | 3.42% |
| मार्च, 2014 | 2,51,060 | 4.11% |
| मार्च, 2015 | 3,09,409 | 4.62% |

(स्रोत: आरबीआई- मार्च, 15 आंकड़ें अनंतिम)

**(ग):** बैंकों के एनपीए में वृद्धि का मुख्‍य कारण हाल के वर्षों में घरेलू वृद्धि में धीमापन, वैश्विक अर्थव्‍यवस्‍था की रिकवरी की धीमी गति तथा वैश्विक बाजारों में जारी अनिश्चितता है, जिससे विभिन्‍न उत्‍पादों जैसे वस्‍त्र, इंजीनियरिंग सामान, चमड़ा, जवाहरात के निर्यात में कमी आयी है, बाहरी घटक जिसमें खनन परियोजनाओं पर पाबंदी, कच्‍चे माल के मूल्‍यों में उतार-चढ़ाव तथा विद्युत की उपलब्‍धता में कमी है, जिससे वस्‍त्र, लोहा और इस्‍पात, अवसंरचना क्षेत्रों के परिचालन पर प्रभाव पड़ा है।

**(घ):** सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। बैंकिंग क्षेत्र के अशोध्‍य ऋणों की वसूली में तेजी लाने के लिए सरकार ने छ: (6) नए ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) स्‍थापित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, सरकार ने वसूली की निगरानी करने तथा वसूली की गति को बढ़ाने और एनपीए के प्रबंधन हेतु एक बोर्ड स्‍तरीय समिति का गठन करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को सलाह दी है। अशोध्‍य ऋणों की वसूली में रूकावट को दूर करने के लिए संसद द्वारा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन तथा ऋण वसूली विधि‍ (संशोधन) अधिनियम, 2012 पारित किया गया है और यह दिनांक 15.01.2013 से लागू हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एनपीए की समस्‍याओं का समाधान करने के लिए कई कदम भी उठाए हैं।   
जनवरी, 2014 में इसने “वित्‍तीय दवाब की पहचान आरंभ में करने, समाधान हेतु त्‍वारित कदम उठाने तथा उधारदाताओं के लिए उचित वसूली: अर्थव्‍यवस्‍था में दबावग्रस्‍त आस्तियों को पुन: सुदृढ़ करने हेतु संरचना” प्रकाशित की, जिसमें बैंकों को उधारकर्ताओं के कार्य में दबाव की सूचना प्राप्‍त होते ही और खाते के एनपीए में परिवर्तित होने की प्रतीक्षा किए बिना कार्रवाई आरंभ करनी है।

\*\*\*\*\*